दिनांक 22.11.2026
प्रेस विज्ञप्ति

कार्यालय अपर पुलिस महानिदेशक आगरा जोन , आगरा।

जनपद राजा का रामपुर /थाना एटा

- **पुलिस कार्यवाही में अवैध मादक पदार्थ की तस्करी करने वाल दो सक्रिय तस्कर, 145 किलो 610 ग्राम अवैध गांजा (अंर्तराष्ट्रीय अनुमानित कीमत लगभग 75 लाख रूपये), 01 मोबाइल, 5,000 रूपये नगद व एक केन्टर के साथ गिरफ्तार।**

दिनांक 22.11.2026 को थाना राजा का रामपुर पुलिस टीम एवं एएनटीएफ आपरेशनल यूनिट मेरठ द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर उडीसा से एक टाटा कैन्टर गाडी UP 86 BT 1637 में दिल्ली/नोएडा/एनसीआर में बेचने हेतु ले जाये जा रहे दो तस्करों को थाना राजा का रामपुर क्षेत्रांतर्गत अलीगंज पटियाली रोड पर पहरा पुल से गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण से पूछने पर बताया गया कि यह गाँजा गोलू उर्फ गोलक हाल निवासी दिल्ली का है, जिसने यह गाँजा उडीसा से भरवाया था और यह गाँजा दिल्ली एनसीआर में गोलू द्वारा बताये गये स्थान पर पहुँचाना था।

गिरफ्तार अभियुक्तगण

1. प्रेमनारायण उर्फ बन्टी पुत्र सत्यप्रकाश निवासी ग्राम टोली थाना सिकन्द्राराऊ जनपद हाथरस
2. अंकित पुत्र धर्मपाल निवासी ग्राम टोली थाना सिकन्द्राराऊ जनपद हाथरस

बरामदगी

1. 145 किलो 610 ग्राम अवैध मादक पदार्थ गांजा (जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 75 लाख रूपये)
2. एक केन्टर
3. एक मोबाइल
4. 5,000 रुपए नगद